

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 22, बुधवार, शाके 1947- अगस्त 13, 2025 <i>Shravana 22, Wednesday, Saka 1947- August 13, 2025</i>	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जुलाई 21, 2025

संख्या:03/भू.अ./ज.स./2021/1163-1167:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बीसलपुर बांध के आर.एल. 315.50 मीटर में डूब के ग्राम खेजड़ी के शेष रहे खसरों (952/1204, 956) की भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है। यह विज्ञप्ति किया जाता है कि सूची में वर्णित इलाकों की भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। अतः यह विज्ञप्ति भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11-12 के अनुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है।

उक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उन समस्त अधिकारियों को, जिनका इससे संबंध है, को कुछ समय के लिए अपने सेवकों एवं श्रमिकों सहित उस क्षेत्र में प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने तथा वे सब कार्य करने हेतु अधिकृत करती है, जो उक्त धारा में दर्शाये गये हैं।

कोई हितकारी व्यक्ति जिसे निम्नांकित क्षेत्र की किसी भूमि के अवाप्त करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह उक्त विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन होने के 60 दिन के अन्दर आपत्ति लिखित में अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना देवली को प्रस्तुत कर सकता है।

विवरण

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड-तृतीय बीसलपुर परियोजना देवली।

केन्द्रीय भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार नियम-2016 के तहत भूमि अवाप्ति की धारा-11 एवं धारा-12 के प्रस्ताव।

बीसलपुर परियोजना के आर. एल. 315.50 मीटर की डूब लाईन से प्रभावित होने वाले भूमि के व्यक्तियों/ कृषकों/ भूमि धारकों की सूची।

क्र. स.	खातेदार का नाम	किस्म जमीन	खसरा नं.	भूमि का कुल क्षेत्रफल है.	अवाप्त हेतु रकबा है.	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	रामदेव, श्योजी, रमेश,	बारानी	952/1204	0.12	0.12	अतिरिक्त कलेक्टर

सोराज पिता हरनाथ भूला पत्नि रंगलाल, गिरीराज पिता रंगलाल ना. बा. सरंक्षक माता खुद दाखी पत्नि हरनाथ कौम रैगर सा. देह खातेदार	बारानी उत्तम	956	0.32	0.32	(पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परि. देवली
योग		2	0.44	0.44	

केन्द्रीय भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार नियम-2016 के तहत भूमि अवाप्ति की धारा-11 एवं धारा-12 के प्रस्ताव।

इकजाई गोश्वारा

बीसलपुर पेयजल एवं सिंचाई परियोजना जिला-अजमेर में प्रस्तावित बीसलपुर परियोजना के आर. एल. 315.50 मीटर की डूब में आयी ग्राम खेजड़ी के शेष रहें खसरा नं. (952/1204 रकबा 0.12 हैक्टर व खसरा नं. 956 रकबा 0.32 हैक्टर) की भूमि अधिग्रहण के लिये प्रस्तावित भूमि के निर्माण कार्य में आई भूमि का प्रस्तावित इकजाई गोश्वारा

क्र. स.	गांव का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील	कुल खसरा नं.	कुल भूमि	अवाप्त की जाने वाली भूमि (हैकटयेर)		
						निजी भूमि	सरकारी	कुल भूमि
1	खेजड़ी	सावर	सावर	952/1204	0.12	0.12	0.00	0.12
2				956	0.32	0.32	0.00	0.32
कुल भूमि-						0.44	0.00	0.44

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।